



राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

डी-ब्लाक, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2223887,

ई-मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ.8()/आरएमएससी/ई.पी.एम./ (M-2) /2012/64

दिनांक : 13.9.12

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर
2. निदेशक, जन.स्वा. / आर. सी. एच. / एड्स / अस्पताल प्रशासन / मोबाईल / सर्जिकल यूनिट / ई. एस. आई. / आई.ई.सी.
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं समस्त अधीक्षक, सम्बद्ध चिकित्सालय
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर / अजमेर / कोटा / भरतपुर
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषय: – चिकित्सालयों में काम आने वाले औजारों एवं उपकरणों तथा चिकित्सालयों के सामानों की मांग उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय / महोदया,

मंत्री मण्डलीय ज्ञापन सं. 20(3) PH/G-2/2011 दिनांक 31.03.2011 की पालना में राजस्थान सरकार द्वारा उचित एवं सही दरों पर औजार एवं उपकरणों तथा भेषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं विस्तृत प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर क्रय किये जाने के उद्देश्य से राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम का गठन किया गया। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पंत्राक F-17(14)PH/G-2/2011-2012, जयपुर दिनांक 16.03.2010 द्वारा भण्डार क्रयण संगठन को दिनांक 31.03.2012 से समाप्त कर दिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, ई.एस.आई. चिकित्सालयों आदि में समस्त औजार एवं उपकरणों का केन्द्रीकृत क्रय, प्रबन्धन एवं वार्षिक रख-रखाव का अनुबन्ध का कार्य राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा किया जा रहा है। भण्डार क्रयण संगठन के अन्तर्गत वर्तमान में प्रभावी 21 दर संविदाओं के 117 आइटमों को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम में स्थानान्तरित किया जा चुका है। अन्य चिकित्सा उपकरणों एवं औजारों के क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अति आवश्यक चिकित्सा उपकरणों एवं औजारों तथा अन्य चिकित्सकीय आपूर्तियों की सूची एवं क्रय निति निगम की वेबसाइट www.rmsc@nic.in पर उपलब्ध है। उक्त सूची तैयार करने में सावधानी बरती रही है। फिर भी सूची में संशोधन की पर्याप्त संभावना बनी रहेगी। सभी विभागाध्यक्षों, चिकित्सकीय संस्था प्रधानों से अपेक्षा है कि वे इस सूची का अवलोकन कर संशोधन हेतु सुझावों से चिकित्सा सेवा निगम को अवगत करावे।

शासन के यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न चिकित्सा संस्थानों द्वारा टूकड़ों में समय-समय पर सीधी मांग निगम को भिजवाई जा रही है। जिससे क्रय प्रक्रिया निर्धारण में कठीनाई हो रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा विभाग के विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे औजार एवं उपकरणों से



सम्बन्धित वार्षिक मांग मय स्पेसिफिकेशन (Item Specifications) निम्न निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करावें।

औजार एवं उपकरणों व अस्पताल सामानों की आपूर्ति की मांग हेतु प्रोफोर्मा

चिकित्सकीय संस्थान का नाम.....

क्र. सं.	कैट नं.	आइटम का नाम	मात्रा	आइटम की अनुमानित लागत	कुल लागत
1	2	3	4	5	6

नोट:-

हस्ताक्षर

संस्था प्रधान

मोबाइल न.

- (1) मांगकर्ता अधिकारी आइटम के स्पेसिफिकेशन संलग्न करें।
- (2) कन्सायनी का नाम, पता, संपर्क सूची, एवं अन्य सूचनाएं संलग्न करें।
- (3) आवश्यक मांग निगम की ई-मेल rmsc@nic.in पर भी भेजी जा सकती है।

सभी मांगकर्ता अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे मांग करने से पूर्व आवश्यक वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित कर लेवें। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को राशि डी.डी. द्वारा अथवा बैंक खाता संख्या 2246002100024414, पंजाब नेशनल बैंक, जवाहर नगर शाखा जयपुर IFS Code PUNB 0224600 में हस्तान्तरण कर जमा कराई जा सकती है। आवश्यक हो तो अधिशाषी निदेशक (ई.पी.एम.) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर से दूरभाष नं. 0141-2223887 पर सम्पर्क किया जाकर और जानकारी ली जा सकती है। सभी विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है की दिनांक 20.09.2012 तक आवश्यक रूप से आपके विभाग/ चिकित्सा संस्थानों से सम्बन्धित उपकरणों एवं औजारों की मांग राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को प्रेषित करें। विलम्ब से प्राप्त मांग प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकेगा।

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
अध्यक्ष, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

प्रतिलिपि :-

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. संभागीय अयुक्त, जयपुर/ बीकानेर/ अजमेर/ उदयपुर/ जोधपुर/ कोटा/ भरतपुर।
4. जिला कलेक्टर, जिला समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला समस्त।

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम